



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 10 अगस्त, 2026 ई०

श्रावण 19, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-04

संख्या- 421319/XXX(4)/2026-02(22)/2015 E22018

देहरादून, 10 अगस्त, 2026

अधिसूचना

विविध

‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 316(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके माननीय श्री राज्यपाल श्री योगेन्द्र रावत को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 वर्ष की अवधि अथवा उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का सदस्य नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।